गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 पर ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ का उद्घाटन किया

फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI- TTP)’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है

यह पहल दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों व OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी

यह सुविधा सभी यात्रियों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी – श्री अमित शाह

FTI-TTP को देश के 21 प्रमुख हवाईअड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में इसे दिल्ली हवाईअड्डे के अलावा देश के 7 अन्य प्रमुख हवाईअड्डों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद में भी शुरू किया जाएगा

प्रविष्टि तिथि: 22 JUN 2024 5:36PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 पर ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि **'फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' (FTI- TTP)** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए बहुत सोचकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों व OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत विकसित भारत@2047 के लिए तय किए गए प्रमुख कार्यबिंदुओं में से एक है और यह पहल सभी के लिए यात्रा सुविधा और दक्षता बढ़ाने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाती है। श्री शाह ने कहा कि ये सुविधा सभी यात्रियों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी। इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुगम और सुरक्षित immigration approval के लिए तैयार किया गया है। यह e-Gates पर चलेगा जो immigration approval की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम कर देगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में, भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों को कवर किया जाएगा और दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य e-Gates के माध्यम से screened अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए fast immigration lane के माध्यम से विश्वस्तरीय immigration सुविधाओं को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम तथा सुरक्षित बनाना है।

FTI- TTP को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा और अप्रवासन ब्यूरो (Bureau of Immigration), इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों की फास्ट ट्रैक immigration के लिए नोडल एजेंसी होगा। इस योजना में नामांकन के लिए आवेदक को अपने विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवश्यक जांच के बाद, 'विश्वसनीय यात्रियों' की एक White List बनाई जाएगी और उसे ई-गेट्स के माध्यम से लागू करने के लिए फीड किया जाएगा। ई-गेट्स से गुज़रने वाले '**ट्रस्टेड ट्रैवलर**' 'का बायोमेट्रिक्स FRRO कार्यालय या पंजीकृत यात्री के हवाई अड्डे से गुजरने के वक्त लिया जाएगा। TTP पंजीकरण पासपोर्ट की वैधता या 05 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक वैध होगा और उसके बाद इसका नवीनीकरण किया जाएगा। प्रक्रिया के तहत, जैसे ही 'पंजीकृत यात्री' ई-गेट्स पर पहुंचेंगे, उनकी उड़ान की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए ई-गेट्स पर एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करेगा। ई-गेट्स पर पासपोर्ट को स्कैन और यात्री के बायोमेट्रिक का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। एक बार जब यात्री की वास्तविक पहचान स्थापित हो जाएगी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो ई-गेट अपने आप खुल जाएगा और immigration approval दिया गया माना जाएगा।

FTI-TTP को देश के 21 प्रमुख हवाईअड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में इसे दिल्ली के अलावा 7 अन्य प्रमुख हवाईअड्डों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर शुरू किया जाएगा।

*****

आरके / वीवी / आरआर / पीआर / पीएस

(रिलीज़ आईडी: 2027937) आगंतुक पटल : 129

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Gujarati , Tamil , Kannada